भाग–III

हरियाणा सरकार

पर्यावरण, वन और वन्यजीव विभाग

अधिसूचना

दिनांक 3 अक्तूबर, 2025

संख्या का०आ० 80/के०अ० 16/1927/धा० 30/2025.– चूंकि, हरियाणा सरकार, पर्यावरण, वन और वन्यजीव विभाग, अधिसूचना संख्या का०आ० 79/के०अ० 16/1927/धा० 29/2025, दिनांक 3 अक्तूबर, 2025 द्वारा इससे संलग्न अनुसूची में वर्णित कतिपय वन तथा बंजर भूमियाँ, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का केन्द्रीय अधिनियम 16) की धारा 29 के अधीन संरक्षित वन के रूप में घोषित की गई है;

इसलिए, अब, उक्त अधिनियम की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा,–

(क) उक्त संरक्षित वन में अथवा उस पर खड़े हुए अथवा उगाए गए सभी वृक्षों को इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से आरक्षित घोषित करते हैं;

(ख) इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से तीस वर्ष की अवधि के लिए उक्त संरक्षित वन को बन्द करते हैं तथा आगे घोषित करते हैं कि उक्त संरक्षित वन में निजी व्यक्तियों के सभी अधिकार, यदि कोई हों, उक्त अवधि के दौरान निलम्बित हो जाएंगे; और

(ग) उसी तिथि से तथा पूर्वोक्त अवधि के लिए उक्त संरक्षित वन में पत्थर खोदने, चुने या लकड़ी–कोयले को जलाने अथवा किसी वन उपज को एकत्रित करने या किसी विनिर्माण प्रक्रिया के अन्तर्गत लाने अथवा हटाने तथा किसी ऐसे वन में भूमि को खेती, भवन, पशु चराने के लिए या किसी अन्य प्रयोजन के लिये तोड़ने या साफ करने को प्रतिषिद्ध करते हैं।

सुधीर राजपाल,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
पर्यावरण, वन और वन्यजीव विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

ENVIRONMENT, FORESTS AND WILDLIFE DEPARTMENT

Notification

The 3rd October, 2025

No. S.O.80/C.A.16/1927/S.30/2025.— Whereas, *vide* Haryana Government, Environment, Forests and Wildlife Department notification No. S.O.79/C.A.16/1927/S.29/2025, dated the 3rd October, 2025, certain forest and wastelands mentioned in the Schedule appended thereto have been declared to be protected forests, under section 29 of the India Forest Act, 1927 (Central Act 16 of 1927);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under section 30 of the said Act, the Governor of Haryana hereby,-

(a) declares all trees standing or planted in or upon said protected forests, to be reserved with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazzette;

(b) closes the said protected forests for a period of thirty years from the date of publication of this notification in the Official Gazzette and further declares that all rights of private persons, if any, over the said land shall be suspended during the said period; and

(c) prohibits from the same date and for the aforesaid period, the quarrying of stones or the burning of lime or charcoal, the collection, or subjection to any manufacturing process, or removal of any forest produce in said protected forests and the breaking up or clearing for cultivation, for building, for herding cattle or for any other purpose of any land in such forest.

SUDHIR RAJPAL,
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Environment, Forests and Wildlife Department.

12154—C.S.—H.G.P., Pkl.